<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

<u>(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)</u>

<u>अपील एल.आर. संख्या 2020 / 799 जिला–अजमेर</u>

समस्त ग्रामवासियान ग्राम नगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर जरियेः–

1. पवन कुमार पुत्र उमरचन्द खाती
2. भीमराज पुत्र छोटूलाल
3. हरिश पुत्र छगनलाल खाती
4. रामदेव पुत्र पन्नालाल जाट
5. प्रेमचन्द पुत्र गजानन्द शर्मा
6. उदयराम जाट पुत्र जमनालाल जाट
7. छोटूलाल बैरवा पुत्र कल्याण बैरवा
8. कालूराम गुर्जर पुत्र कजोड़ गुर्जर
9. जयसिंह राजावत पुत्र मनोहर सिंह राजावत
10. सांवरलाल प्रजापत पुत्र दयाल प्रजापत
11. तेजमल भांबी पुत्र छोटू भांबी
12. हीरालाल माली पुत्र लादू माली
13. प्रहलाद वैष्णव पुत्र मोहनदास महाराज
14. सम्पत्त सिंह पुत्र राधाकिशन राजावत
15. भागचन्द शर्मा पुत्र ब्रह्मलाल शर्मा
16. रामलाल खाती पुत्र
17. कजोड़मल खाती पुत्र कल्याण खाती
18. राजेन्द्र कठोरी पुत्र भंवरलाल कठोरी
19. मुरलीधर पुत्र मोहनदास
20. कैलाश बैरवा पुत्र नारायण बैरवा
21. सुरेश राजावत पुत्र राधाकिशन राजावत
22. गोपाल प्रजापत पुत्र मिश्री लाल प्रजापत
23. चांदमल खाती पुत्र नारायण जांगिड़
24. कैलाश सैन पुत्र मिठू सेन
25. प्रभूलाल बैरवा पुत्र उगमा बैरवा
26. बालू प्रजापत पुत्र कजोड प्रजापत
27. राज सिंह राजावत पुत्र सम्पत सिंह राजावत
28. भागचन्द बैरवा पुत्र हीरालाल बैरवा
29. महावीर बैरवा पुत्र घीसा बैरवा
30. नौरत सिंह पुत्र सम्पत सिंह
31. राजेन्द्र बैरवा पुत्र रामकरण बैरवा
32. गोपाल जाट पुत्र बालू जाट
33. कानाराम गुर्जर पुत्र अनोपा गुर्जर
34. महावीर साधू पुत्र बालदास साधू
35. सांवरलाल पुत्र घीसालाल बैरवा

36. दुर्गा सिंह पुत्र राधाकिशन राजावत
37. भैरूनाथ पुत्र हीरानाथ
38. किशोर सिंह पुत्र सम्पत्त सिंह
39. गोविन्द पुत्र भंवरलाल
40. नन्द सिंह पुत्र भंवर सिंह राजावत
41. गोविन्द सेन पुत्र दुर्गा सेन
42. घीसा बैरवा पुत्र किशना बैरवा
43. रामदेव गुर्जर पुत्र लादू गुर्जर
44. पुरषोत्तम पुत्र पप्पूलाल गुर्जर
45. छोटूलाल पुत्र सोजीराम गुर्जर
46. संजय जांगिड पुत्र भंवर लाल खाती
47. गोविन्द पुत्र रामकरण गुर्जर
48. ओमप्रकाश पुत्र प्रभूलाल
49. रामकरण पुत्र मांगू गुर्जर
50. पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वर जांगिड़

समस्त निवासी ग्राम नगर, ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत शिखरानी।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश क्रमांक कअ / राजस्व / एफ / 12 / (सी)( ) / 12 / 187
जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 16—11—2012

————

उपस्थित— 1. श्री राकेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांकः— 30—01—2023

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उनके आदेश क्रमांक क्रमांक कअ / राजस्व / एफ / 12 / (सी)( ) / 12 / 187 दिनांक

16–11–2012 द्वारा आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं जैसे विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित सिवायचक भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने की अधिकारिता प्रदान की है। उक्त प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर को ग्राम पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उपखण्ड अधिकारी मसूदा की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 17–10–2012 के अनुसरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 हेतु 10 ग्रामों की प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर संबंधित ग्राम पंचायत को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 16–11–2012 पारित करते समय अपीलार्थीगण की बिना सुनवाई किये पारित किया गया जिसके अनुसरण में दिनांक 02–12–2019 को जबरन निर्माण कार्य स्वयं के लाभार्थ प्रत्यर्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने पर अपीलार्थीगण ग्रामवासियान द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 9–12–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16–12–2019 को प्राप्त होने पर अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना

कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ग्रामवासियान के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजियात खसरा नम्बर 899 रकबा 0.9146 हेक्टर पर प्रत्यर्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के निजी लाभार्थ दुकानों का निर्माण कर बेचान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त आराजियात पर ग्रामवासियान के आस्था का मंदिर व चबूतरा बना हुआ है तथा ग्रामवासियों के पशु उक्त आराजियात पर चराई करते आ रहे है। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 से प्रत्यर्थी संख्या 2 को हस्तांतरित भूमि का उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए किया गया है किन्तु आक्षेपित आदेश की आड़ में निजी लाभ हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है जिस बाबत अपीलार्थीगण ग्रामवासियान के हक व अधिकार प्रभावित होते है जिन्हें आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16–11–2012 से अपीलार्थी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि अपीलार्थी के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त निर्णय से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं जैसे विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित सिवायचक भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने की अधिकारिता प्रदान की है। उक्त प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर को ग्राम पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उपखण्ड अधिकारी मसूदा की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 17–10–2012 के अनुसरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 हेतु 10 ग्रामों की प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर संबंधित ग्राम पंचायत को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश पारित किये गये। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 899 रकबा 0.9146 हैक्टर किस्म बारानी–3 वाके ग्राम पंचायत शिखरानी स्थित आराजियायत के साथ अन्य खसरा नम्बर की आराजियात को ग्राम पंचायत शिखरानी के नाम आबादी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 16–11–2012 को पारित किये गये। उक्त भूमि ग्राम पंचायत शिखरानी को आबादी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। उक्त आदेश दिनांक 16–11–2012 की अनुपालना में दिनांक 20–11–2012 को ग्राम पंचायत शिखरानी के नाम विवादित आराजियात के साथ अन्य आराजियात राजस्व अभिलेख में अंकन की गई है। विवादित आराजियात पर गांव की आस्था का मंदिर भैरूबाबा का चबूतरा बना हुआ है। उक्त आराजियात ग्रामवासियान के पशु आदि चराई के लिए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में लाई जाती रही है पर सरपंच ग्राम पंचायत शिखरानी द्वारा जबरन स्वयं के हितों लाभार्थ निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त आराजियात बाबत किया गया आवंटन नियमों के विपरीत किये जाने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 द्वारा विवादित आराजियात का आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग आबादी विस्तार अन्य सार्वजनिक सुविधाओं, विद्यालय चिकित्सालय आदि के लिए पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पट्टे जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही के अनुरूप किया गया है जिस बाबत किसी भी प्रकार के पट्टे जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजियात निजी लाभार्थ कॉमर्शियल रूप से दुकाने निर्मित किये जाने बाबत निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत शिखरानी को किया गया आवंटन आराजियात बाबत खसरा नम्बर 899 रकबा 0.9146 की हद तक निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर द्वारा भूमि आवंटन के पश्चात विवादित आराजियात पर आवंटन के पश्चात आज दिनांक तक प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किसी भी उपयोग में नहीं लिया गया है एवं विवादित आराजियात सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में लाई जाती रही है जिस पर दुर्भावनावश स्वयं के हितों के लाभार्थ उक्त आराजियात पर सड़क से लगती हुई दुकानों का निर्माण कर उन्हें बेचान की कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा की जा रही है उक्त भूमि का किया गया आवंटन ग्रामवासियो के हितो के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 899 रकबा 0.9146 की हद तक निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 17–10–2012 के अनुसरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 हेतु 10 ग्रामों की प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर संबंधित ग्राम पंचायत को भूमि सार्वजनिक सुविधाओं जैसे विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित सिवायचक भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने हेतु हस्तांतरित करने के आदेश दिनांक 16–11–2012 पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात की किस्म सिवायचक है। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की है। अपीलार्थीगण ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। ग्राम पंचायत शिखरानी द्वारा निजी उद्देश्य हेतु दुकाने नहीं बनाई जा रही है। ग्राम पंचायत शिखरानी ने भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया है जो कार्य रूकवा दिया गया है। अपीलार्थीगण अतिक्रमी है ग्राम पंचायत द्वारा अब तक कोई दुकाने नहीं बनाई गई है। अपीलार्थीगण की अपील धरा 96 सीपीसी पर ही खारिज की जावे। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 विधिसम्मत है अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नगर ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील मसूदा की जमाबंदी सम्वत 2060–63 के अनुसार विवादित आराजियात खसरा नम्बर 899 रकबा 0.9146 किस्म बारानी–3 सिवायचक बंजर भूमि है जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से सिद्ध है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उनके आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ/12/(सी)( )/12/187 दिनांक 16–11–2012 द्वारा आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं जैसे विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित सिवायचक भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता प्रदान की है। उक्त प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर को ग्राम पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान व पत्रावली के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विवादित आराजियात पर गांव की आस्था का मंदिर भैरूबाबा का चबूतरा बना हुआ है। उक्त आराजियात ग्रामवासियान के पशु आदि चराई के लिए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में लाई

जाती रही है पर सरपंच ग्राम पंचायत शिखरानी द्वारा जबरन स्वयं के हितों लाभार्थ निर्माण कार्य विवादित भूमि पर ही कराया जा रहा है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 17—10—2012 के अनुसरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 हेतु 10 ग्रामों की प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर संबंधित ग्राम पंचायत को भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जैसे विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित सिवायचक भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने हेतु हस्तांतरित करने के आदेश दिनांक 16—11—2012 पारित किया गया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/ एफ/ 12/(सी)( )/12/187 दिनांक 16—11—2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30—01—2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर